अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

प्रश्न: छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: निम्नलिखित लक्षित समूह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

- अनुसूचित जातियां
- विमुक्त–घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियां
- पारंपरिक कारीगर
- भूमिहीन कृषि मज़दूर

प्रश्न: पात्रता मानदंड क्या है?

उत्तर: (i) प्रत्येक चयन वर्ष की पहली अप्रैल को आयु 35 वर्ष से कम हो।

(ii) पारिवारिक आय 8,00,000/- रुपये (प्रति वर्ष आठ लाख रुपये) से कम हो।

(iii) आवेदक के पास नवीनतम उपलब्ध क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश का बिना शर्त प्रस्ताव होना चाहिए।

विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध योजना संबंधी दिशानिर्देश देखें।

प्रश्न: कितने स्लॉट उपलब्ध हैं?

उत्तर: प्रत्येक चयन वर्ष में 125 स्लॉट उपलब्ध हैं।

प्रश्न: महिला उम्मीदवारों के लिए कितने स्लॉट निर्धारित हैं?

उत्तर: प्रत्येक वर्ष के 30% स्लॉट महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं।

प्रश्न: क्या छात्रवृत्ति स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है?

उत्तर: जी नहीं, इस योजना के तहत मास्टर और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्रश्न: न्यूनतम अपेक्षित अर्हता (Qualification) क्या है?

उत्तर: मास्टर्स के लिए स्नातक और पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर (पीजी)।

प्रश्न: अपेक्षित न्यूनतम अंक प्रतिशत क्या है?

उत्तर: अर्हक डिग्री (qualifying degree) में 60%

प्रश्न: अनुसूचित जाति/विमुक्त जनजाति/भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए कितने स्लॉट है?

उत्तर.: अनुसूचित जाति – 115

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू जनजातियां – 06

भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर – 04

कुल – 125

प्रश्न: आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: आवेदक केवल ऑनलाइन पोर्टल अर्थात **http://nosmsje.gov.in/** पर आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या आवेदक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: जी नहीं।

प्रश्न: फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेज़ अपेक्षित हैं?

उत्तर: आवेदक **http://nosmsje.gov.in/** पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म और दस्तावेज़ों को भरने का तरीका देख सकते हैं। पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ों और अन्य विवरणों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

प्रश्न: छात्रवृत्ति की अवधि क्या है?

उत्तर: मास्टर डिग्री के लिए अधिकतम **3** वर्ष।

पीएचडी के लिए अधिकतम 4 वर्ष।

प्रश्न: कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

1. ट्यूशन फीस
2. भरण–पोषण भत्ता (Maintenance Allowance) (यूके को छोड़कर 15,400 अमेरिकी डॉलर वार्षिक। यूके में 9,900 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वार्षिक)
3. आकस्मिक भत्ता (Contingency Allowance)
4. वीज़ा फीस
5. उपस्कर भत्ता (Equipment Allowance)
6. फीस और चिकित्सा बीमा प्रीमियम
7. अधिकृत एजेंटों से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया
8. स्थानीय यात्रा

विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध योजना संबंधी दिशानिर्देश देखें।

प्रश्न: कोई उम्मीदवार कितनी अवधि के भीतर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है?

उत्तर: चयनित उम्मीदवार को छात्रवृत्ति/आश्वासन के लिए चयन के संबंध में इस मंत्रालय से अनंतिम पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर छात्रवृत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, छात्रवृत्ति स्वतः ही रद्द हो जाती है।

प्रश्न: विदेश में प्रवेश कैसे प्राप्त करें?

उत्तर: चयनित अभ्यर्थियों को विदेशी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों का चयन हो और उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा मिले, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) के अंतर्गत छात्रों का चयन शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में बिना शर्त प्रवेश के प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न: प्रवेश मिलने के बाद क्या करें?

उत्तर: किसी उम्मीदवार द्वारा किसी विदेशी शिक्षण संस्थान में प्रवेश की पुष्टि हो जाने और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) योजना के अंतर्गत अनंतिम रूप से चयनित हो जाने के बाद, मंत्रालय द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त प्रवेश-पत्र का सत्यापन किया जाता है। प्रवेश की पुष्टि और अन्य विवरण प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय फ़ाइल को प्रोसेस करता है और तदनुसार, संबंधित उम्मीदवार को एक 'अवार्ड लेटर' जारी किया जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्थान आदि का विवरण भी दिया जाता है।

प्रश्न: वीज़ा कैसे प्राप्त करें?

उत्तर: विदेश में किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि होने के बाद, संबंधित उम्मीदवार भारत में उस देश के संबंधित दूतावास/वाणिज्य दूतावास/मिशन से संपर्क कर सकता है। हालांकि, उम्मीदवारों को केवल उसी प्रकार के वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए जिसके लिए उन्हें विदेश में अपना कोर्स पूरा करने के बाद भारत लौटना आवश्यक हो। भारत सरकार किसी उम्मीदवार को वीज़ा प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं देती है।

प्रश्न: विदेश में अध्ययन के लिए आगे बढ़ने से पहले कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं?

उत्तर: चयनित उम्मीदवारों को विदेश प्रस्थान करने से पहले भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कानूनी दस्तावेज और अन्य एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को विदेश पहुंचने पर तुरंत संबंधित भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा और मिशन द्वारा यथा निर्धारित ऐसे आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ और अन्य एग्रीमेन्ट निष्पादित करने होंगे। रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में, उन्हें नियोक्ता द्वारा अपेक्षित बांड, एग्रीमेन्ट आदि भी निष्पादित करने होंगे।

प्रश्न: एनओएस आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए?

उत्तर: एनओएस योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी (जैसे जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/राजस्व अधिकारी) द्वारा विधिवत जारी दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आय प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय (स्वयं, माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन; विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए: स्वयं, पति, ससुराल वाले) को प्रमाणित करता हो।

यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आय प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे प्रमाण-पत्र में उस वित्तीय वर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जिससे आय संबंधित है।

यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मानक प्रारूप में संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करने का प्रावधान नहीं है, तो प्रमाणपत्र प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की तारीख को जारी किया जाना चाहिए।

ऐसे आय प्रमाण-पत्र जो इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें एनओएस योजना के तहत पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए वैध नहीं माना जाएगा।

प्रश्न: एनओएस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि के संबंध में अपेक्षा क्या है?

उत्तर: एनओएस योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का प्रारंभ (प्रवेश) आवेदन प्राप्त करने के लिए एनओएस पोर्टल के खुलने की तिथि के बाद होना चाहिए।

जिन आवेदनों की पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि पोर्टल खुलने से पहले है, उन्हें अयोग्य माना जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्रवेश/प्रस्ताव-पत्र में प्रारंभ तिथि निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप हो।

प्रश्न: एनओएस दिशानिर्देशों के खंड 2 (ख) के तहत स्लॉट पर 10% की सीमा का क्या अर्थ है?

उत्तर: एनओएस योजना दिशानिर्देशों के खंड 2 (ख) के अनुसार, प्रत्येक चयन वर्ष में कुल 125 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जो निधियों की उपलब्धता के अधीन होती हैं। इन स्लॉटों का आवंटन करते समय, सभी पात्र श्रेणियों (अनुसूचित जातियां, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां और भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर) में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल स्लॉटों की सीमा 10% निर्धारित की गई है।

प्रश्न: एनओएस योजना के अंतर्गत मुझे वित्तीय सहायता कब से मिलनी शुरू होगी?

उत्तर: एनओएस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मंत्रालय द्वारा अंतिम अवार्ड लेटर जारी होने के बाद ही जारी की जाएगी। आवेदक द्वारा संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग को अपनी ज्वायनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सहायता प्रक्रिया शुरू की जाती है, जो मंत्रालय को इसकी पुष्टि करता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा और प्रारंभिक सेटलमेंट व्यय के लिए आवश्यक

व्यवस्था कर लें, क्योंकि ज्वायनिंग से पहले कोई अग्रिम अनुदान नहीं दिया जाता है।

प्रश्न: एनओएस योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न (आईटीआर) की पावती कब आवश्यक है?

उत्तर: एनओएस योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी स्रोतों से सकल वार्षिक पारिवारिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में **8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- यदि संबंधित वित्तीय वर्ष में सकल वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये (पुरानी कर व्यवस्था) या 3.0 लाख रुपये (नई कर व्यवस्था) से अधिक है, तो आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करते समय आईटीआर की पावती अपलोड करनी होगी।
- अंतिम अवार्ड लेटर जारी करने से पहले, छात्र को स्वयं और परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा धारा 143 (1) के तहत जारी केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) सूचना आदेश के साथ पूर्ण आईटीआर भी प्रस्तुत करना होगा।

*****